<u>विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2025 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा. सदस्य, विधान परिषद, द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-01 का उत्तर</u>

प्रश्न	उत्तर
1(क) क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि दिनांक 10 मार्च, 2025 से दिनांक 27 मार्च, 2025 तक पुरानी पेंशन बहाल किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव वित्त उ0प्र0 शासन को प्रदेश के कर्मचारी संगठनों के कितने पत्र प्राप्त हुये है?	दिनांक 10 मार्च, 2025 से दिनांक 27 मार्च, 2025 तक पुरानी पेंशन बहाल किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव वित्त, उ0प्र0 शासन को प्रदेश के कर्मचारी संगठनों के कुल 03 पत्र प्राप्त हुए हैं।
(ख) क्या पुरानी पेंशन बहाल न किये जाने के कारण कार्मिकों में सरकार के प्रति भारी रोष व्याप्त है?	उत्तर प्रदेश में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से नयी पेंशन योजना (एन0पी0एस0) लागू है। नई पेंशन प्रणाली सरकार के राजकोषीय स्थिति में संतुलन बनाये रखने तथा न केवल सरकारी कर्मचारी अपितु संगठित/असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों एवं सामान्य जन के लिये बेहतर राष्ट्रव्यापी वृद्धावस्था सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से लायी गयी है।
(ग) यदि हाँ, तो कब तक पुरानी पेंशन बहाल करायेंगे?	उपरोक्तानुसार।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों?	उपरोक्तानुसार।

सुरेश कुमार खन्ना
वित्त मंत्री।